No. CDN-27011/2/2020-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 21.02.2020

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of January, 2020 is enclosed for information.

(Hemant Verma)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23381349

To

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Director, Cabinet Secretariat, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. Senior PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
3. Senior PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate affairs
4. Dir (NIC) - To upload the communication on official website of the MCA

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF JANUARY, 2020

(1) Notifications:-

(i) The Ministry vide notification no. G.S.R. No. 13(E) dated 03.01.2020 has amended Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014. Through the said amendment every company having outstanding loans or borrowings from banks or public financial institutions of one hundred crore rupees or more shall be required to annexed with its Board report, a secretarial audit report given by a company secretary in practice. Further, threshold for paid up capital for appointment of a whole time Company Secretary in a private company has been enhanced from 5 crore rupees to 10 crore rupees.

(ii) The Ministry vide notification no. G.S.R. No. 46(E) dated 24.01.2020 has notified the Companies (Winding Up) Rules, 2020. The said rules shall apply to winding up under Companies Act, 2013.

(iii) The Ministry vide notification no. G.S.R. No. 59(E) dated 24.01.2020 has extended the provisions of Section 460 of Companies Act, 2013 to a Limited Liability Partnership.

(iv) The Ministry vide notification no. G.S.R. No. 60(E) dated 30.01.2020 has notified the Companies (Accounts) Amendment Rules, 2020. These rules require every Non-Banking Financial Company (NBFC) complying with Indian Accounting Standards (Ind AS), shall file the financial statements with Registrar together with e-Form AOC-4 NBFC (Ind AS) and the consolidated financial statement, if any, with e-Form AOC-4 CFS NBFC (Ind AS).

(2) CIRCULARS:-

(i) Through the General Circular No. 1/2020 dated 01.01.2020, the Ministry has extended the last date of filing e-forms no. BEN-1 and BEN-2, without payment of additional fees till 31.03.2020.

(ii) Through the General Circular No. 02/2020 dated 30.01.2020, the Ministry has extended the last date of filing of AoC-4 NBFC (Ind AS) and AoC-4 CFS NBFC (Ind AS) for all eligible companies for the financial year 2018-19, without payment of additional fees till 31.03.2020.

(iii) Through the General Circular No. 03/2020 dated 31.01.2020, the Ministry has extended the last date of filing of e-forms AOC-4, AOC-4 (CFS) AOC-4 XBRL and e-form MGT-7 till 31.03.2020, for companies having jurisdiction in the UT of J&K and UT of Ladakh without levy of additional fee.

3. DECRIMINALIZING THE OFFENCES UNDER THE COMPANIES ACT, 2013:-

In line with the Government's objective of promoting Ease of Living in the Country by providing Ease of Doing Business to law abiding corporate, fostering improved corporate compliance for stakeholders at large and also to address emerging issues having impact on the working of corporate in the country, a Company law Committee was constituted by M/o Corporate Affairs vide order dated 18.09.2019 for examining and making recommendations to the Government on such matters. The Committee examined various issues under the Companies Act, 2013 (CA-13) and submitted its report to the Hon'ble Corporate Affairs Minister on 18.11.2019. The recommendations of the Committee, inter alia, include modifications w.r.t. compoundable offences under the CA-13. The Committee has also made important recommendation to include the provisions of Part IXA (Producer Companies) of the Companies Act, 1956 in the Companies Act, 2013 so that present gap in the Companies Act, 2013 is plugged and measures for promotion of farmer producer companies could be taken more effectively. The committee has also suggested other measures for providing ease of compliance to one person companies, start-ups, small companies and farmer producer companies.

4. The Government is taking necessary action for amending the Companies Act, 2013 to implement the aforesaid recommendations. The Cabinet Note in this regard was sent to the Cabinet Secretariat on 10.12.2019. Subsequently File No.2/2/2018-CL-I pursuant to review of certain proposals, a Supplementary Cabinet Note has been sent to the Cabinet Secretariat on 15.01.2020.

5. A state level conference-cum-awareness programme in association with Institute of Chartered Accountant of India was conducted on 20 December, 2019 at Dharamshala (Himachal Pradesh), which was inaugurated by Hon'ble Union Minister of State for Finance and Corporate Affairs, Shri Anurag Singh Thakur. It was attended by more than 1200 delegates. This was the 2nd State level conference, the first was organized at Bhubaneshwar on 10.09.2019.

6. In order to spread Investor Awareness and Education, MoU was signed with India Post Payment Bank(IPPB). Earlier MoU was entered with Nehru Yuva Kendra sangathan, CSCS-E Governance, Deptt of Telecom & Bank of Baroda for this purpose.

7. In pursuant to RFP issued on 20.02.2019, appraisal by Public Investment Board(PIB) , approved by Hon'ble CAM & FM, L&T infotech has been selected as the new Service Provider for MCA-21 Project. At present, services are provided by Infosys.

8. The Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) in association with the Department of Public Enterprises (DPE) organized a two-day orientation programme for govt. nominee Directors of CPSE on 10-11 January 2020 at Varanasi, Uttar Pradesh.

9. School of Finance, IICA has successfully conducted One Training of Trainer (ToT) Programme for the shortlisted Resource persons (RPs) during the month of January, 2020 in New Delhi. The programme was attended by 86 participants comprising of RPs from SEBI, ICAI, ICSI, retired bankers, SHGs, academicians and working and non-working women.

10. NFCSR under IICA has successfully conducted a Two-day capacity building programme on 23-24 January 2020, in the area of CSR implementation for GAIL. Also, School of Competition Law and Market Regulation has successfully conducted a 5 day residential training program for the officers and research associates of Competition Commission of India from 27th to 31st January, 2020 at Manesar.

11. Indian Institute of Corporate Affairs has successfully conducted "1st Capacity Building Seminar for Officers of Members of Forum of Indian Regulators Centre" between 8th January, 2020 to 10th January, 2020. The Theme of the seminar was Regulatory impact Assessment (RIA) at Goa.

12. The Regional Awareness Workshops on National CSR Awards 2020 were organized on 24th January 2020 at New Delhi with the support of ASSOCHAM as a Workshop partner. About 60 participants from 40 different companies were participated from the Northern region interested to apply for National CSR Awards 2020 and other nominating organizations.

13. The Regional Awareness Workshop in the Western region was organized on 29th January 2020 at Mumbai (Bandra) with the support of Confederation of Indian Industry (CII) as a Workshop partner. 50 Corporate representatives situated in the Western region, interested to apply for National CSR Awards 2020 were participated in the workshop.

सं. सीडीएन-27011/2/2019-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,
डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001
तारीखः 21 फरवरी, 2020

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के जनवरी, 2020 माह के मासिक सार की प्रति सूचनार्थ संलग्न है।

(हेमंत वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 23381349

सेवा में,

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, अनुलग्नक सहित, प्रेषितः

1. निदेशक, केबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव।
3. अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव
4. निदेशक (एनआईसी) - एमसीए की सरकारी वेबसाइट पर इस सूचना को अपलोड करने हेतु।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

जनवरी, 2020 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीति-निर्णय और मुख्य उपलब्धियां

(1) अधिसूचनाएं:-

(i) मंत्रालय ने दिनांक 03 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.13(अ) द्वारा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 में संशोधन किए हैं। उक्त संशोधनों के माध्यम से प्रत्येक कंपनी जिस पर एक सौ करोड़ या अधिक का ऋण बकाया है या बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से उधार लिया हुआ हो, कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा बोर्ड रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट संलग्न करना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, निजी कंपनी में पूर्णकालिक कंपनी सचिव की नियुक्ति के लिए प्रदत्त पूंजी की सीमा को पांच करोड़ से बढाकर दस करोड़ कर दिया गया है।

(ii) मंत्रालय ने दिनांक 24 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. सं. 46(अ) द्वारा कंपनी (समापन) नियम, 2020 को अधिसूचित किया है। उक्त नियम कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत समापन के लिए लागू होंगे।

(iii) मंत्रालय ने दिनांक 24 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.59(अ) द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 460 के उपबंधों को सीमित देयता भागीदारी के लिए विस्तारित किया है।

(iv) मंत्रालय ने दिनांक 30 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.60(अ) द्वारा कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2020 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के तहत भारतीय लेखा मानक का अनुपालन करने वाली सभी गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियां (एचबीएफसी) को कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष, ई-प्ररूप एओसी-4 एनबीएफसी (इंड एएस) सहित समेकित वित्तीय विवरण, यदि कोई हो, के साथ ई-प्ररूप एओसी-4 सीएफएस एनबीएफसी (इंड एएस) के साथ में वित्तीय विवरणों को फाइल करेगी।

(2) परिपत्र:-

(i) मंत्रालय ने दिनांक 01 जनवरी, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 1/2020 के माध्यम से ई-प्ररूप सं. बीईएन-1 और बीईएन-2 को बिना अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के फाइल करने की तारीख को 31 मार्च, 2020 तक बढा दिया है।

(ii) मंत्रालय ने दिनांक 30 जनवरी, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 2/2020 के माध्यम से सभी योग्य कंपनियों के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए एओसी-4 एनबीएफसी (इंड एएस) और एओसी-4 सीएफएस एनबीएफसी (इंड एएस) को बिना अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के फाइल करने के लिए अंतिम तारीख को 31 मार्च, 2020 तक बढा दिया है।

(iii) मंत्रालय ने दिनांक 31 जनवरी, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 3/2020 के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के क्षेत्राधिकार की कंपनियों के लिए ई-प्ररूप एओसी-4, एओसी-4 (सीएफएस) एओसी-4 एक्सबीआरएल और ई-प्ररूप एमजीटी-7 को बिना अतिरिक्त शुल्क के फाइल करने के लिए अंतिम तारीख को 31 मार्च, 2020 बढा दिया गया है।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 के अतंर्गत अपराधों को दंडमुक्त करना :-

सरकार के ईज ऑफ डुईंग बिजनेस के द्वारा बेहतर कारपोरेट कानून के अनुपालन में ईज ऑफ लिविंग को बढावा देने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हितधारकों के बड़े समूह के लिए उन्नत कारपोरेट अनुपालन को

प्रोत्साहित करने और देश में कारपोरेट संचालन को प्रभावित करने वाले मामलों से निपटने के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने ऐसे मामलों की जांच करने और ऐसे मामलों पर सरकार को सिफारिश देने के उद्देश्य से दिनांक 18.09.2019 के आदेश द्वारा एक कंपनी विधि समिति का गठन किया है। समिति ने अधिनियम, 2013 (सीए-13) के तहत विभिन्न मामलों की जांच की और दिनांक 18.11.2019 को अपनी रिपोर्ट माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री को सौंपी। समिति की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 (सीए13) के तहत प्रशम्य अपराधों के संबंध में संशोधन भी शामिल है। समिति ने कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IXक (उत्पादक कंपनी) के उपबंधों को कंपनी अधिनियम, 2013 में शामिल करने की भी सिफारिश की है ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 की कमियों को दूर किया जा सके और कृषि उत्पादन कंपनियों के प्रोत्साहन उपायों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। समिति ने एकल व्यक्ति कंपनी, स्टार्ट-अप, लघु कंपनियां और कृषि उत्पादक कंपनियों के लिए अनुपालन में सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से अन्य उपायों के भी सुझाव दिए हैं।

(4) सरकार उक्त सिफारिशों को लागू करने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में दिनांक 10.12.2019 को मंत्रिमंडल सचिवालय को मंत्रिमंडलीय नोट भेजा गया था। इसके पश्चात् फाइल सं. 2/2/2018-सीएल.I में कुछ निश्चित प्रस्तावों की समीक्षा के अनुसरण में दिनांक 15.01.2020 को एक पूरक मंत्रिमंडलीय नोट मंत्रिमंडलीय सचिवालय को भेजा गया था।

(5) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के सहयोग से दिनांक 20 दिसंबर, 2019 को धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) में एक राज्य स्तरीय जागरूकता-सह-सम्मेलन कार्यक्रम आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन वित्त और कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। इस कार्यक्रम में 1200 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यह दूसरा राज्य स्तरीय सम्मेलन था, पहला दिनांक 10 सितंबर, 2019 को भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था।

(6) विनिधानकर्ता जागरूकता और शिक्षा का प्रसार करने के लिए भारतीय डाक भुगतान बैंक (आईपीपीबी) के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इससे पूर्व नेहरू युवा केंद्र संगठन, सीएससीएस-ई-गवर्नेंस, दूर संचार विभाग और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ इस प्रयोजन के लिए समझौता-ज्ञापन संपन्न किया गया था।

(7) सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा मूल्यांकित और माननीय कारपोरेट कार्य और वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित दिनांक 20.02.2019 को जारी आरएफपी के अनुसरण में, एल एंड टी इन्फोटेक को एमसीए-21 परियोजना के लिए नए सेवा प्रदाता के रूप में चुना गया है। इस समय ये सेवाएं एन्फोसिस द्वारा प्रदान की जा रही हैं।

(8) भारतीय कारपोरेट कार्य मंत्रालय (आईआईसीए) ने सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के सहयोग से वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 10-11 जनवरी, 2020 को सीपीएसई के नामित निदेशकों के लिए दो दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया।

(9) स्कूल ऑफ फाइनेंस, आईआईसीए ने नई दिल्ली में जनवरी-2020 माह के दौरान चयनित रिसोर्स पर्सन्स (आरपी) के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में सेबी, आईसीएआई, आईसीएसआई के रिसोर्स पर्सन, सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों, स्वसहायता समूहों, शिक्षाविदों और कार्यरत एवं गैर कार्यरत महिलाओं सहित 86 व्यक्तियों ने भाग लिया।

(10) आईआईसीए के अधीन एनएफसीएसआर ने जीएआईएल के लिए सीएसआर कार्यान्वयन के क्षेत्र में 23-24 जनवरी, 2020 को दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, स्कूल ऑफ कंपिटीशन लॉ एंड मार्किटिंग रेग्यूलेशन ने मानेसर में 27-31 जनवरी, 2020 के दौरान भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकारियों और अनुसंधान एसोसिएट्स के लिए पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया।

(11) भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान ने 8 जनवरी, 2020 से 10 जनवरी, 2020 के बीच "भारतीय नियामक केंद्र के मंच के सदस्यों के अधिकारियों के लिए प्रथम क्षमता निर्माण संगोष्ठी" सफलतापूर्वक आयोजित की। इस संगोष्ठी का विषय गोवा में नियामक प्रभाव आकलन (आरआईए) था।

(12) राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार 2020 के बारे में क्षेत्रीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन नई दिल्ली में 24 जनवरी, 2020 को कार्यशाला साझेदार के रूप में एस्सेचैम के सहयोग से किया गया। राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार 2020 के लिए आवेदन करने के इच्छुक पूर्वोत्तर क्षेत्र की भिन्न भिन्न 40 कंपनियों और अन्य नामांकित संगठनों के लगभग 60 व्यक्तियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

(13) पश्चिमी क्षेत्र में क्षेत्रीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन 29 जनवरी, 2020 को कार्यशाला साझेदार के रूप में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से मुंबई (बांद्रा) में किया गया। राष्ट्रीय सीएसआर पुरस्कार 2020 के लिए आवेदन करने के इच्छुक पश्चिमी क्षेत्र स्थित 50 कारपोरेट प्रतिनिधियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

***